पंचायत निगरानी संख्या : 467/2024, 468/2024, 469/2024, 470/2024 व 471/2024
उनवान : सुशीलादेवी व अन्य बनाम ग्राम पंचायत भंदर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

1. पंचायत निगरानी संख्या : 467/2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/ 604

1. सुशीलादेवी पुत्री स्व. भूराराम माली पत्नी मूलाराम माली निवासी सेवाड़ी, तहसील बाली जिला पाली राज.
2. अरुणा पत्नी हिम्मतराम पुत्री स्व. भूराराम माली, निवासी भारुन्दा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
3. निर्मला पत्नी फुलाराम माली पुत्री बनाम स्व. भूराराम माली, निवासी भारुन्दा तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
4. जयश्री पत्नी जितेन्द्र कुमार माली पुत्री स्व. भूराराम माली, निवासी नितोड़ा स्वरुपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही राज.

1. सरपंच ग्राम पंचायत भंदर तहसील बाली जिला पाली राज.
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली जिला पाली राज.
3. प्यारीदेवी पत्नी स्व. थानाराम माली, निवासी भंन्दर, तहसील बाली जिला पाली राज.

2. पंचायत निगरानी संख्या : 468/2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/ 605

1. सुशीलादेवी पुत्री स्व. भूराराम माली पत्नी मूलाराम माली निवासी सेवाड़ी, तहसील बाली जिला पाली राज.
2. अरुणा पत्नी हिम्मतराम पुत्री स्व. भूराराम माली, निवासी भारुन्दा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
3. निर्मला पत्नी फुलाराम माली पुत्री बनाम स्व. भूराराम माली, निवासी भारुन्दा तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
4. जयश्री पत्नी जितेन्द्र कुमार माली पुत्री स्व. भूराराम माली, निवासी नितोड़ा स्वरुपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही राज

1. सरपंव ग्राम पंचायत भंदर तहसील बाली जिला पाली राज.
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली जिला पाली राज.
3. कविता देवी पत्नी आशिष कुमार माली निवासी भन्दर, तहसील बाली जिला पाली राज.

3. पंचायत निगरानी संख्या : 469/2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/ 606

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 467 / 2024, 468 / 2024, 469 / 2024, 470 / 2024 व 471 / 2024
उनवान : सुशीलादेवी व अन्य बनाम ग्राम पंचायत भंदर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

1. सुशीलादेवी पुत्री स्व. भूराराम माली पत्नी मूलाराम माली निवासी सेवाड़ी, तहसील बाली जिला पाली राज.
2. अरुणा पत्नी हिम्मतराम पुत्री स्व. भूराराम माली, निवासी भारुन्दा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
3. निर्मला पत्नी फुलाराम माली पुत्री स्व. भूराराम माली, निवासी भारुन्दा तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
4. जयश्री पत्नी जितेन्द्र कुमार माली पुत्री स्व. भूराराम माली, निवासी नितोड़ा स्वरुपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही राज

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत भंदर तहसील बाली जिला पाली राज.
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली जिला पाली राज
3. आशिष कुमार पुत्र उम्मेदमल माली निवासी भन्दर, तहसील बाली जिला पाली राज.

4. पंचायत निगरानी संख्या : 470 / 2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024 / 607

1. सुशीलादेवी पुत्री स्व. भूराराम माली पत्नी मूलाराम माली निवासी सेवाड़ी, तहसील बाली जिला पाली राज.
2. अरुणा पत्नी हिम्मतराम पुत्री स्व. भूराराम माली, निवासी भारुन्दा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
3. निर्मला पत्नी फुलाराम माली पुत्री स्व. भूराराम माली, निवासी भारुन्दा तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
4. जयश्री पत्नी जितेन्द्र कुमार माली पुत्री स्व. भूराराम माली, निवासी नितोड़ा स्वरुपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही राज

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत भंदर तहसील बाली जिला पाली राज.
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली जिला पाली राज
3. अंशीदेवी पत्नी उम्मेदमल माली, निवासी भन्दर, तहसील बाली जिला पाली राज.

5. पंचायत निगरानी संख्या : 471 / 2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024 / 608

1. सुशीलादेवी पुत्री स्व. भूराराम माली पत्नी मूलाराम माली निवासी सेवाड़ी, तहसील बाली जिला पाली राज.
2. अरुणा पत्नी हिम्मतराम पुत्री स्व. भूराराम माली, निवासी भारुन्दा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत भंदर तहसील बाली जिला पाली राज.
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली जिला पाली राज
3. उम्मेदमल पुत्र स्व. वररदाराम माली, निवासी भन्दर, तहसील बाली, जिला पाली राज.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 467 / 2024, 468 / 2024, 469 / 2024, 470 / 2024 व 471 / 2024
उनवान : सुशीलादेवी व अन्य बनाम ग्राम पंचायत भंदर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

3. निर्मला पत्नी फुलाराम माली पुत्री स्व. भूराराम माली, निवासी भारुन्दा तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
4. जयश्री पत्नी जितेन्द्र कुमार माली पुत्री स्व. भूराराम माली, निवासी नितोड़ा स्वरुपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही राज

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पूर्णेश कुमार बोहरा। (प्रकरण संख्या जी.सी.एम.एस. 2024 / 604, 2024 / 605, 2024 / 606, 2024 / 607, व 2024 / 608)
2. अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता गणपतलाल चौधरी (प्रकरण संख्या जी.सी.एम.एस. 2024 / 604, 2024 / 605, 2024 / 606, 2024 / 607, व 2024 / 608)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

<u>–:निर्णयः–</u>

"निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता बज़तरफ अप्रार्थीपक्ष तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम एवं आदेश 13 नियम 01 सिविल प्रक्रिया संहिता बज़तरफ याचीपक्ष "

दिनांकः 17.02.2026

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री पूर्णेश कुमार बोहरा ने ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा समान संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.10.2014 द्वारा निर्णय लेकर नियम 157 (2) के तहत निष्पादित किये गये पांच भूमि विक्रय विलेखों को उपरोक्त पंचायत निगरानी याचिकाओं के माध्यम से समान आधारों पर चुनौति प्रस्तुत की है, अतः उपरोक्त वर्णित पंचायत निगरानी याचिकाओं को एक साथ निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

निगरानी याचिकाओं के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:–

1. यह है कि निगरानीकर्तागण ग्राम भन्दर के निवासी है तथा इनका जन्म ग्राम भन्दर में ही हुआ है, एवं स्वर्गीय भूराराम पुत्र वरदाराम माली की जायन्दा पुत्रिया हैं तथा वर्तमान में ग्राम भन्दर एवं अपने अपने ससुराल में निवास करती है।
2. यह है कि निगरानीर्तागण के स्वर्गीय पिता भूराराम एवं दादा स्वर्गीय वरदाराम पुश्तैनी सम्पति ग्राम भन्दर में आई हुई स्थित है, जिसमें निगरानीकर्ता का जन्म से उन सम्पतियों में उत्ताराधिकारियों की हैसियत से उत्ताराधिकार के अधिकार प्राप्त है।
3. यह है कि निगरानीकर्तागण के पिता स्वर्गीय भूराराम पुत्र वरदाराम माली एवं निगरानीकर्ता संख्या 01 सुशीला पुत्री भूराराम माली की सम्पति ग्राम भन्दर बाली पिण्डवाडा सडक रोड पर खसरा संख्या 1243 रकबा 0.5800 हैक्टेयर आई हुई स्थित है। जिसमें निगरानीकर्ता के दादा वरदाराम पुत्र मगनाजी माली के नाम पुराना कब्जा होने से दिनांक 29.06.1991 को नामान्तरकरण दर्ज किया गया।
4. यह है कि उक्त सम्पति निगरानीकर्तागण संख्या 1 एवं निगरानीकर्ता संख्या 02, 03, व 04 का कब्जा हैं। तथा उक्त कब्जे के आधार पर निगरानीकर्ता उक्त सम्पति पर अधिकार एवं आधिपत्य रखता है। जिसकी सम्पूर्ण उत्ताराधिकार की हैसियत से अपने पिता स्वर्गीय भूराराम एवं दादा स्वर्गीय वरदाराम के हिस्से में भी उत्ताराधिकार की हैसियत से अधिकार एवं आधिपत्य रखते हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

5. यह है कि निगरानीकर्ता द्वारा समय समय पर ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा उक्त सम्पति के संबंध में अपने हिस्से अनुसार निर्माण कार्य करने हेतु निवेदन किया। परन्तु ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा निर्माण की स्वीकृति देने में आना कानी की और ना ही हमारी निर्माण स्वीकृति आवेदन पत्र को खारिज किया, जिससे आगे विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकें।
6. यह है कि उक्त सम्पति के संबंध में ग्राम पंचायत भन्दर में निगरानीकर्ता द्वारा अपने हिस्से अनुसार पट्टे बनाने हेतु आवेदन किया, परन्तु ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा ना तो पट्टे जारी किये गय और ना ही निर्माण की स्वीकृति दी, जिससे निगरानीकर्ता को उक्त भूमि पर निर्माण कार्य करने से वंचित किया जा रहा है।
7. यह है कि निगरानीकर्ता को अप्रार्थीगण संख्या 03 द्वारा उक्त भूमि पर एक वर्ष पूर्व दखलन्दाजी करने लगे और निगरानीकर्तागण को बताया कि उसका उक्त भूमि पर किये गये कब्जे को हटा दे, तथा धमकी दी कि उक्त भूमि पर आपके पिता का भी कोई अधिकार नहीं है और ना ही आपकी अन्य बहनों का कोई हक अधिकार है, जिससे आहत होकर निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 21.02.2024 को अप्रार्थीगण संख्या 03 को जरिए नोटीस सूचित किया कि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का हमारे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें तथा ना ही किसी अन्य से करावें। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का निगरानीकर्ता को कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उल्टा धमकी देने लगे कि उक्त भूमि का हमने ग्राम पंचायत से पट्टे बनवा दिये हैं। अब आप उक्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं रखते है।
8. यह है कि दिनांक 21.02.2024 को दिये गये नोटिस से आहत होकर अप्रार्थीगण द्वारा निगरानीकर्ता को धमकी दी कि ग्राम भन्दर में भी अब नहीं आवें, क्योंकि अब उनके पिता की किसी भी सम्पति में उनका कोई हक नहीं है, तब निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत भंदर से संपर्क किया तथा जानकारी मांगी कि खसरा संख्या 1243 में किस–किस व्यक्ति को पट्टे जारी किये है, जिसकी सूचना निगरानीकर्ता द्वारा मांगी गई तब ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा ग्राम विकास अधिकारी मोहनलाल चौहान द्वारा उक्त खसरा संख्या में जारी किये गये पट्टे की सत्यापित प्रतिलिपि निगरानीकर्ता को दी गई। जिसमें उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 नियम 157 (2) की पालना नहीं की गई और इसके विपरित जाकर निगरानीकर्ता की कब्जाशुदा उपरोक्त भूमि के पट्टे कुल 05 लोगों के नाम जारी कर दिय और अवैध रुप से पट्टे बना दिये।
9. यह है कि उक्त पट्टो के संबंध में ग्राम पचायत भन्दर के नागरिको द्वारा पंचायत समिति बाली में शिकायत दर्ज करवाई कि ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा गलत रुप से अवैध ढग से बिना नियमों के एक ही व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को पट्टे बनाकर दे दिये जो सही नहीं है जिसके संबंध में विकास अधिकार बाली द्वारा जांच की गई और निष्कर्ष दिया कि उक्त पट्टे ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा नियमों के बनाये गये हैं। जो निरस्तनीय हैं।
10. यह है कि उक्त जांच के उपरान्त भी ग्राम पंचायत भंदर द्वारा उक्त पट्टों के संबंध में निरस्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। जिससे उक्त अवैध पट्टो के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 03 उक्त भूमि को अन्य लोगों को बेचने हेतु तत्पर हैं। तथा निगरानीकर्ता को उक्त भूमि से बेदखल करने हेतु उतारु हैं। जिससे व्यथीत होकर दिनांक 19.06.2024 को उप पंजीयन अधिकारी तहसील बाली एवं उपपंजीयन अधिकारी उप तहसील नाना को जरिये ए.डी. नोटिस उक्त संदर्भ में सूचित किया कि उपरोक्त खसरा नम्बर में बनाये गये पट्टा संख्या 05 मिसल संख्या 11/2003–04, पट्टा संख्या 04 मिसल संख्या 14/2003–04, पट्टा संख्या 03 मिसल संख्या 09/2003–04, पट्टा संख्या 02 मिसल

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 10/2003–04 व पट्टा संख्या 1 मिसल संख्या 13/2003–04 जारी उक्त अवैध पट्टो के आधार पर अन्य व्यक्तियों के नाम पंजीयन नहीं करें।

11. यह है कि निगरानीकर्ता द्वारा जब इस बात की जानकारी हुई कि ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा निगरानीकर्ता की कब्जाशुदा उपरोक्त भूमि के पट्टे अप्रार्थीगण संख्या 03 के नाम जारी किया हैं, जिसे निरस्त करने के लिए निवेदन किया परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा निरस्त नहीं किये तब निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 से संपर्क किया तब अप्रार्थीगण संख्या 2 द्वारा निगरानीकर्ता को अवगत कराया कि उक्त पट्टो को निरस्त करवाने हेतु कार्यवाही की है, तब निगरानीकर्ता ने उक्त संबंध में जानकारी मांगी परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 द्वारा किसी भी तरह की कोई जानकारी निगरानीकर्ता को नहीं दी गई, तब दिनांक 21.05.2024 को निगरानीकर्ता ने जरिये रजिस्टर्ड पत्र नोटिस अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को भेजा गया। परन्तु नोटिस मिलने के पश्चात भी किसी भी तरह से कोई जानकारी उक्त पट्टे के सबध में निगरानीकर्ता को नहीं दी गई। जिससे व्यथीत होकर उक्त निगरानी याचिकाएं प्रस्तुत की जा रही है।

12. यह है कि निगरानीकर्ता द्वारा माह नवम्बर में उक्त भूमि के संबंध में एवं अन्य पुश्तैनी मकान के संबंध में निर्माण कार्य करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तब ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा दिनांक 20.11.2024 को ग्राम पंचायत मासिक बैठक में निगरानीकर्ता को उपस्थित होने का निर्देश दिया, तब निगरानीकर्ता दिनांक 20.11.2024 को ग्राम पंचायत भन्दर में उपस्थित हुई, परन्तु पंचायत मिटींग 21.11.2024 को रखी गई तब पुनः निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत में अगले दिन भी उपस्थित हुई , तथा अपना आवेदन पत्र के सन्दर्भ में उक्त भूमि पर निर्माण कार्य करने एवं पट्टा जारी करने के संबंध में निवेदन किया। परन्तु ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा उक्त भूमि पर निगरानीकर्ता को पट्टा देने से इस बात के आधार पर मना किया कि उक्त भूमि पर पूर्व पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे जब तक निरस्त नहीं होते तब तक निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा पट्टा जारी किया जाना अनुचित होगा। अतः निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

13. यह है कि उक्त निगरानी समयावधि में ग्राम पंचायत भन्दर एवं विकास अधिकारी बाली को पंचायत अधिनियम के अनुसार नोटिस देने के 2 महिनों के पश्चात प्रस्तुत की जा रही है, जो समयावधि में है।

14. यह है कि उक्त निगरानी प्रस्तुत करने का निगरानीकर्ता को कारण उत्पन्न होते ही समयावधि में श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं।

अतः निगरानी याचिकाएं प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा अपने पद एवं नियमों के विपरित पट्टा संख्या 05 मिसल संख्या 11/2003–04, पट्टा संख्या 04 मिसल संख्या 14/2003–04, पट्टा संख्या 03 मिसल संख्या 09/2003–04, पट्टा सख्या 02 मिसल सख्या 10/2003–04 व पट्टा सख्या 1 मिसल संख्या 13/2003–04 अप्रार्थी संख्या 03 के पक्ष में दिनांक 03.11.2014 को जारी किया गया जिसे निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

निगरानी याचिकाएँ दर्ज कर अप्रार्थीगण को ज़रिए नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 (प्रकरण संख्या जी.सी.एम.एस. 2024/604, 2024/605, 2024/606, 2024/607, व 2024/608) की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी पैरवी हेतु उपस्थित आए। निर्णयाधीन पांच पंचायत निगरानी याचिकाओं का मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि:–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 467/2024, 468/2024, 469/2024, 470/2024 व 471/2024
उनवान : सुशीलादेवी व अन्य बनाम ग्राम पंचायत भंदर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

1. यह कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में जिस तथाकथित जैर आलोच्य विक्रय विलेख द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 02 के नाम से जारी किया गया था। जिस पट्टा को निरस्त करवाने की निगरानी माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के समक्ष विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली द्वारा पेश की गई थी जो विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत भन्दर व अन्य के नाम से विचाराधीन रही थी, जिस निगरानी याचिकाओं का अन्तिम निस्तारण दिनांक 29.09.2017 को हुआ है तथा जैर आलोच्य विक्रय विलेख को निरस्त कर दिया गया है।
2. यह कि प्रार्थीगण द्वारा पेश निगरानी में जो वाद विषय यानि संकल्प, पट्टा व मिसाल वर्णित है उस बाबत् पूर्व में निर्णय हो चुका है, जिस कारण उसी वाद विषय को लेकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी पेश की है जो पूर्व न्याय के सिद्धान्त (Res- Judicata) के आधार पर खारिज योग्य है।
3. यह है कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 03 से व्यक्तिगत रुप से नाराजगी व रंजिश रखते है इसी कारण अप्रार्थीगण संख्या 03 को तंग व परेशान करने हेतु जानबुझकर मिथ्या व बेबुनियाद के आधार पर उक्त निगरानी पेश की है जो निगरानी मय खर्चा खारिज फरमाते हुए बिना कारण अप्रार्थी संख्या तीन को तंग व परेशान किया जाने से अप्रार्थीगण संख्या 03 को विशेष हर्जाना भी दिलाया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि पूर्व न्याय के सिद्धान्त (Res- Judicata) के आधार पर प्रार्थीगण की निगरानी खारिज करते हुए अप्रार्थीगण संख्या 03 को विशेष हर्जाना दिलवाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. का जवाब अप्रार्थी संख्या 01 व 02 से तलब किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 10.09.2025 को स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 से जवाब तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 02 विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली ने अपने पत्रांक प.स.बा./2025/3049 दिनांक 29.10.2025 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. का जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. **प्रकरण संख्या 467/2024 सुशीला देवी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत भन्दर व अन्य :–** इस संबंध में जवाब यह है कि पट्टा संख्या 01 दिनांक 03.11.2014 को जरिये मिसाल संख्या 13/2003-2004 द्वारा प्यारी देवी/थानाराम माली को जारी किया गया । उक्त पट्टे की निगरानी के संबंध में माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा दिनांक 08.08.2019 को उक्त पट्टा संख्या 01 दिनांक 03.11.2014 को निरस्त करते हुए सम्पूर्ण प्रकरण ग्राम पंचायत भन्दर को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रकिया की पालना में करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

इसके उपरान्त ग्राम पंचायत भन्दर ने प्यारी देवी/थानाराम माली को पट्टा संख्या 38 दिनांक 23.10.2019 को जारी किया गया जिसमे इस पट्टे को जारी करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा अलग मिसल न खोलकर पुरानी मिसल संख्या 13/2003-2004 से पचायतीराज नियम् 157 (1) के तहत् जारी किया गया । इस पट्टे को जारी करने के लिए पचायती राज नियम 1996 के नियम 140-160 में विहित प्रकिया की पालना नही की गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत निर्णय नही लिया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 467/2024, 468/2024, 469/2024, 470/2024 व 471/2024
उनवान : सुशीलादेवी व अन्य बनाम ग्राम पंचायत भंदर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

उक्त प्लॉट में पट्टे की भूमि मे वर्तमान में मौके पर भूखण्ड के किनारे पर पिलर के साथ पट्टिया लगाकर कब्जा किया हुआ है तथा भूखण्डो के मध्य भाग में कुछ क्षैत्रफल मे छिणे लगाकर उस पर लोहे के चदरे डाली हुई है भूखण्ड का अधिकांश भाग खाली है।

2. **प्रकरण संख्या 468/2024 सुशीला देवी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत भन्दर व अन्य** :- इस संबंध में जवाब यह है कि पट्टा संख्या 02 दिनांक 03.11.2014 को जरिये मिसल संख्या 10/2003–2004 द्वारा कविता देवी/आशीष कुमार को जारी किया गया । उक्त पट्टे की निगरानी के संबंध में माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा दिनांक 08.08.2019 को उक्त पट्टा संख्या 02 दिनांक 03.11.2014 को निरस्त करते हुए सम्पूर्ण प्रकरण ग्राम पंचायत भन्दर को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रकिया की पालना में करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

इसके उपरान्त ग्राम पंचायत भन्दर ने कविता देवी/आशीष कुमार को पट्टा संख्या 39 दिनांक 23.10.2019 को जारी किया गया जिसमे इस पट्टे को जारी करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा अलग मिसल न खोलकर पुरानी मिसल संख्या 10/2003–2004 से पंचायतीराज नियम् 157 (1) के तहत् जारी किया गया । इस पट्टे को जारी करने के लिए पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140–160 में विहित प्रकिया की पालना नही की गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत निर्णय नही लिया गया।

उक्त प्लॉट में पट्टे की भूमि मे वर्तमान में मौके पर भूखण्ड के किनारे पर पिलर के साथ पट्टिया लगाकर कब्जा किया हुआ है तथा भूखण्डो के मध्य भाग में कुछ क्षैत्रफल में छिणे लगाकर उस पर लोहे के चदरे डाली हुई है भूखण्ड का अधिकांश भाग खाली है।

3. **प्रकरण संख्या 469/2024 सुशीला देवी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत भन्दर व अन्य** :- इस संबंध में जवाब यह है कि पट्टा सख्या 03 दिनांक 03.11.2014 को जरिये मिसल संख्या 09/2003–2004 द्वारा आशीष कुमार/उम्मेद मल को जारी किया गया । उक्त पट्टे की निगरानी के संबंध में माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा दिनांक 08.08.2019 को उक्त पट्टा संख्या 03 दिनांक 03.11.2014 को निरस्त करते हुए सम्पूर्ण प्रकरण ग्राम पंचायत भन्दर को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रकिया की पालना में करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

इसके उपरान्त ग्राम पंचायत भन्दर ने आशीष कुमार/उम्मेद मल को पट्टा संख्या 40 दिनांक 23.10.2019 को जारी किया गया जिसमे इस पट्टे को जारी करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा अलग मिसल न खोलकर पुरानी मिसल संख्या 09/2003–2004 से पंचायतीराज नियम् 157 (1) के तहत् जारी किया गया । इस पट्टे को जारी करने के लिए पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140–160 में विहित प्रकिया की पालना नही की गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत निर्णय नही लिया गया।

उक्त प्लॉट मे पट्टे की भूमि मे वर्तमान मे मौके पर भूखण्ड के किनारे पर पिलर के साथ पट्टिया लगाकर कब्जा किया हुआ है तथा भूखण्डो के मध्य भाग में कुछ क्षैत्रफल मे छिणे लगाकर उस पर लोहे के चदरे डाली हुई है भूखण्ड का अधिकांश भाग खाली है।

4. **प्रकरण संख्या 470/2024 सुशीला देवी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत भन्दर व अन्य** :- इस संबंध में जवाब यह है कि पट्टा संख्या 04 दिनांक 03.11.2014 को जरिये मिसल संख्या 14/2003–2004 द्वारा अंशी देवी/उम्मेद मल को जारी किया गया । उक्त पट्टे

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

की निगरानी के संबंध में माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा दिनांक 08.08.2019 को उक्त पट्टा संख्या 04 दिनांक 03.11.2014 को निरस्त करते हुए सम्पूर्ण प्रकरण ग्राम पंचायत भन्दर को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना में करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

इसके उपरान्त ग्राम पंचायत भन्दर ने अंशी देवी/उम्मेद मल को पट्टा संख्या 41 दिनांक 23.10.2019 को जारी किया गया जिसमे इस पट्टे को जारी करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा अलग मिसल न खोलकर पुरानी मिसल संख्या 14/2003–2004 से पंचायतीराज नियम् 157 (1) के तहत् जारी किया गया । इस पट्टे को जारी करने के लिए पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140–160 में विहित प्रकिया की पालना नही की गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत निर्णय नही लिया गया।

उक्त प्लॉट में पट्टे की भूमि मे वर्तमान में मौके पर भूखण्ड के किनारे पर पिलर के साथ पट्टिया लगाकर कब्जा किया हुआ है तथा भूखण्डो के मध्य भाग में कुछ क्षैत्रफल में छिणे लगाकर उस पर लोहे के चदरे डाली हुई है भूखण्ड का अधिकांश भाग खाली है।

5. **प्रकरण संख्या 471/2024 सुशीला देवी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत भन्दर व अन्य :–**
इस संबंध में जवाब यह है कि पट्टा संख्या 05 दिनांक 03.11.2014 को जरिये मिसल संख्या 11/2003–2004 द्वारा उम्मेदमल/वरदाराम माली को जारी किया गया । उक्त पट्टे की निगरानी के संबंध में माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा दिनांक 08.08.2019 को उक्त पट्टा संख्या 05 दिनांक 03.11.2014 को निरस्त करते हुए सम्पूर्ण प्रकरण ग्राम पंचायत भन्दर को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रकिया की पालना में करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

इसके उपरान्त ग्राम पंचायत भन्दर ने उम्मेदमल/वरदाराम माली को पट्टा संख्या 42 दिनांक 23.10.2019 को जारी किया गया जिसमे इस पट्टे को जारी करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा अलग मिसल न खोलकर पुरानी मिसल संख्या 11/2003–2004 से पंचायतीराज नियम् 157 (1) के तहत् जारी किया गया । इस पट्टे को जारी करने के लिए पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140–160 में विहित प्रकिया की पालना नही की गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत निर्णय नही लिया गया।

उक्त प्लॉट में पट्टे की भूमि मे वर्तमान मे मौके पर भूखण्ड के किनारे पर पिलर के साथ पट्टिया लगाकर कब्जा किया हुआ है तथा भूखण्डो के मध्य भाग में कुछ क्षैत्रफल मे छिणे लगाकर उस पर लोहे के चदरे डाली हुई है भूखण्ड का अधिकांश भाग खाली है।

इस प्रकार माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 467 से 471/2024 में उपर्युक्त 5 पट्टे अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा निरस्त किये जा चके है व न्यायालय के निर्णय के अनुसार ग्राम पंचायत भन्दर को पक्षकारान समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से निर्णय लेना था उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में ग्राम पंचायत भन्दर ने प्यारी देवी/थानाराम माली को पट्टा संख्या 38 दिनांक 23.10.2019 , कविता देवी/आशीष कुमार को पट्टा संख्या 39 दिनांक 23.10.2019 ,आशीष कुमार/उम्मेद मल को पट्टा संख्या 40 दिनांक 23.10.2019 ,अंशी देवी/उम्मेद मल को पट्टा संख्या 41 दिनांक 23.10.2019 एवं उम्मेदमल/वरदाराम माली को पट्टा संख्या 42 दिनांक 23.10.2019 को जारी किये इन पट्टो को जारी करने मे ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140–160

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

में विहित प्रक्रिया की पालना नही की गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत निर्णय नहीं लिया गया। पुरानी मिसलों पर ही नये पट्टे जारी किये गये । उपरोक्त पांचो पट्टे बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाऐ हुए जारी किये गये। रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रस्तुत है ।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राज. पंचायतीराज अधिनियम, 1994 सपठित आदेश 13 नियम (1) सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि–

1. यह कि प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान के समक्ष पट्टा संख्या पट्टा संख्या 05 मिसल संख्या 11/2003–04, पट्टा संख्या 04 मिसल संख्या 14/2003–04, पट्टा संख्या 03 मिसल संख्या 09/2003–04, पट्टा संख्या 02 मिसल संख्या 10/2003–04 व पट्टा संख्या 1 मिसल संख्या 13/2003–04 के विरुद्ध अप्रार्थीगण संख्या 01 लगाय 05 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी निगरानी का विचारण चल रहा है।
2. यह कि उक्त निगरानी में दौरानें विचारण अप्रार्थीगण संख्या 3 के द्वारा एक आवेदन पत्र धारा 11 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसका विचारण सुनवाई हेतु लम्बित है।
3. यह कि श्रीमान न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पत्र को निर्णीत करने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा जवाब प्रस्तुत करने हेतु पत्र क्रमांक कोर्ट/2025/1141 दिनांक 14.10.25 को जारी किया जिसके पालना में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष उक्त निगरानी में दिनांक 29.10.2025 को जवाब व टिप्पणी प्रस्तुत की परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा कोई जवाब व टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की जबकि विधि अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब व टिप्पणी प्रस्तुत की जानी न्याय हित में आवश्यक है।
4. यह कि प्रार्थी की उपरोक्त निगरानी में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत जवाब व टिप्पणी के अनुसार यह प्रस्तुत निष्कर्ष में उक्त कथनों का उल्लेख किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत भंदर द्वारा पट्टा संख्या 38, 39, 40, 41, 42 दिनांक 23.10.2019 को जारी किए जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत भंदर द्वारा पंचायती राज नियम 140, 160 में विहित प्रक्रिया की पालना नहीं की है। तथा विधि सम्मत निर्णय नहीं लिया है पुरानी मिसलों पर ही नये पट्टे जारी कर दिए है उपरोक्त पांचों पट्टों संख्या 38, 39, 40, 41, 42 बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाए हुए जारी किए है।
5. यह कि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत जवाब व निष्कर्ष के कथनों से नये दस्तावेजी कथनों की जानकारी उक्त निगरानी में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रकट की है कि अप्रार्थी संख्या ग्राम पंचायत भंदर द्वारा पुरानी मिसल जिनके आधार पर पट्टा संख्या 01,02,03,04,05 जारी किए थे इन्हीं मिसलों के आधार पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः दिनांक 23.10.2019 को अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत भंदर द्वारा पट्टा संख्या 38 प्यारी देवी/थानाराम माली, पट्टा संख्या, पट्टा संख्या 39 कविता देवी/ आशीष कुमार, पट्टा संख्या 40 अंशी देवी/उम्मेदमल, पट्टा संख्या 41 अंशी देवी/ उम्मेदमल व पट्टा संख्या 42 उम्मेदमल/वरदाराम माली को जारी किए परन्तु अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा उक्त कथनों के संदर्भ में न तो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और न ही उक्त पट्टो की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जबकि न्याय हित में उक्त पट्टों की प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना विधि अनुसार आवश्यक है।
6. यह कि उक्त कथनों के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा दिनाक 29.10.2025 के जवाब व मिथ्या कथनों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत भंदर के समक्ष उपस्थित होकर पट्टा संख्या 38, 39, 40, 41 व 42 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया मगर ग्राम पंचायत भंदर द्वारा अवगत कराया कि उक्त पट्टो की जानकारी नही है और यह कहा कि यदि समिति द्वारा जानकारी हुई है तो उनसे ही उक्त पट्टे प्राप्त करे हम नकल नहीं दे सकते है क्योंकि हमारे पास पट्टे नहीं है। तब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 02 से सम्पर्क कर उक्त पट्टो की नकले प्राप्त करने हेतु सम्पर्क किया तब उक्त पट्टो के बारे में पंचायत भंदर से ही सम्पर्क करने हेतु कहा गया।

7. यह कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त पट्टा संख्या 38, 39, 40, 41 व 42 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का प्रयास किया मगर आज दिनांक तक इन पट्टों की प्रमाणित प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा अवगत नहीं कराई जिससे श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की सक रही है जबकि उक्त निगरानी के निस्तारण हेतु उक्त दस्तावेज पट्टा संख्या 38, 39, 40, 41 व 42 का प्रस्तुत किया जाना विधि अनुसार अति आवश्यक है।

8. यह कि पट्टा संख्या 38, 39, 40, 41 व 42 अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के कब्जे व आधिपत्य में है जिसे उक्त निगरानी के निर्णय तक प्रस्तुत किया जाना अति आवश्यक है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि पट्टा संख्या 38, 39, 40, 41 व 42 दिनांक 23.10.2019 को ग्राम पंचायत भंदर द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए जारी किए है उन्हें श्रीमान के समक्ष मंगवाए जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को दिए जाने का आदेश प्रदान किया जिससे प्रार्थीगण को न्याय मिल सकें।

विचाराधीन पांचों पंचायत निगरानी याचिकाओं से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड पूर्व में ही प्राप्त एवं शामिल पत्रावली है। अतः उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत दोनों प्रार्थनापत्रों क्रमशः धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम आदेश 13 नियम 01 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता बजतरफ अप्रार्थीगण संख्या तीन नें निर्णयाधीन पांचों पंचायत निगरानी याचिकाओं मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सिविल प्रक्रिया में अंकित कथनों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि विचाराधीन पचायत निगरानी याचिकाओं में जिन पट्टा विलेख संख्या 01 से 05 दिनांक 03.11.2014 एव ग्राम पंचायत भंदर द्वारा पारित संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.10.2014 को चुनौति दी गई है, उक्त पट्टा विलेखों एवं प्रस्ताव के विरुद्ध पूर्व में विकास अधिकारी प.स. बाली द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली में निगरानी याचिकाए अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत की थी। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा उक्त निगरानी याचिकाएँ दिनांक 29.09.2017 को स्वीकार करते हुए आलोच्य पट्टा विलेखों को निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में इन्हीं निरस्त किए जा चुके पट्टों के विरुद्ध विचाराधीन पंचायत निगरानी याचिकाएँ न केवल निष्प्रभावी है अपितु धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधानान्तर्गत 'Res Judicata' से बाधित भी है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए हस्तगत पंचायत निगरानी याचिकाएँ निरस्त की जाए।

उपरोक्त तर्कों के प्रत्युतर में काबिल अधिवक्ता याचीपक्ष ने निवेदन किया कि धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान वाद कार्यवाहियों पर ही लागु होते है एवं पूर्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के जिस निर्णय दिनांक 29.09.2017 का हवाला दिया है, उक्त प्रकरणों में याचीगण पक्षकार नहीं थे। साथ ही, अप्रार्थी संख्या दो विकास अधिकारी बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 29.10.2025 पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए काबिल अधिवक्ता याचीपक्ष द्वारा पूर्व में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं आदेश 13 नियम 1 सि.प्र.स. में अंकित तथ्यों/कथनों को इंगित करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा अप्रार्थीगण संख्या तीन के पक्ष में इन्हीं भूखण्डों के पुनः निष्पादित किए गए पट्टा विलेख संख्या 38 से 42 दिनांक 23.10.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु याचीपक्ष द्वारा ग्राम पंचायत भंदर एवं पंचायत समिति में आवेदन पेश किया गया, किन्तु याचीगण को उक्त प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए। यह भी, कि विकास अधिकारी द्वारा भी उक्त अवैध नवीन पट्टा विलेखों की प्रतिलिपि एवं शपथ पत्र अपनी रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

पंचायत निगरानी संख्या : 467/2024, 468/2024, 469/2024, 470/2024 व 471/2024
उनवान : सुशीलादेवी व अन्य बनाम ग्राम पंचायत भंदर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

में प्रस्तुत नहीं की है, अतः लम्बित प्रार्थना पत्र धारा 11 सी.पी.सी. पर अप्रार्थी संख्या एक का जवाब एवं टिप्पणी तलब की जाए तथा विकास अधिकारी/अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा न्यायालय हाजा में पेश रिपोर्ट दिनांक 29.10.2025 में इंगित नवीन निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 38 से 42 दिनांक 23.10.2019 जो ग्राम पंचायत भंदर द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए जारी किए हैं, उन्हे न्यायालय द्वारा तलब किए जाने के आदेश फरमावे।

वक्त बहस अप्रार्थी संख्या एक व दो उपस्थित नहीं है। प्रार्थना पत्रों पर वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई तथा तर्कों पर मनन किया गया। साथ ही, ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा प्रेषित मूल मिसल पत्रावलियों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरणों में काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या तीन द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों से उनका यह कथन प्रमाणित होता है कि ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा निष्पादित जिन पट्टा विलेख संख्या 01 से 05 दिनांक 03.11.2014 तथा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.10.2014 को याचीपक्ष द्वारा चुनौति दी गई है, उन पट्टा विलेखों एवं आलोच्य प्रस्ताव के विरुद्ध विकास अधिकारी, बाली द्वारा पूर्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली में पांच निगरानी याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी। उक्त पांचों निगरानी याचिकाएं प्रकरण संख्या 05 से 09/2017 को स्वीकार करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा दिनांक 29.09.2017 यथासंशोधित निर्णय दिनांक 08.08.2019 द्वारा उक्त आलोच्य पांचों पट्टा विलेखों तथा प्रस्ताव को अपास्त किया जा चुका है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल मिसल पत्रावलियों में भी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित उक्त निर्णय की प्रति संलग्न है। यहाँ तक कि अप्रार्थी संख्या दो विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली ने भी न्यायालय हाजा में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 29.10.2025 में इस तथ्य की तस्दीक की है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 यह उपबन्धित करती है कि **"कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद अथवा वाद बिन्दु का विचारण नहीं करेगा जिसके वाद–पत्र में वह विषय, उन्हीं पक्षकारों के मध्य अथवा उन पक्षकारों के मध्य जिनके अधीन वे अथवा उनमें से कोई उसी हक के अन्तर्गत मुकदमेबाजी करने का दावा करता है, एक ऐसे न्यायालय में जो कि ऐसे परवर्ती वाद अथवा ऐसे वाद जिसमें ऐसा वाद–बिन्दु बाद में उठाया गया हैं, के विचारण में सक्षम है, किसी पूर्ववर्ती बाद में प्रत्यक्ष एवं सारवान् रुप से रहा हो और सुना जा चुका है तथा अन्तिम रुप से ऐसे न्यायालय द्वारा निर्णीत हो चुका है।"**

अर्थात् हस्तगत प्रकरण में जब पूर्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा उन निगरानी पट्टा विलेखों एवं प्रस्ताव को अपास्त किया जा चुका है, तो न केवल हस्तगत पंचायत निगरानी याचिकाएँ निष्प्रभावी (infructuous) हो चुकी है अपितु मूल विवाद्यक/विषयवस्तु पूर्व निर्णीत कर दिए जाने से काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या तीन का यह तर्क स्वीकार योग्य है कि विचाराधीन पंचायत निगरानी याचिकाएँ "पूर्व निर्णय के सिद्धान्त" (Res Judicata) से बाधित है।

इसी प्रकार , याचीपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम तथा आदेश 13 नियम 01 सि.प्र.स. के सन्दर्भ में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रथमतः तो राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 111 उक्त प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु से सम्बन्धित ही नहीं है, द्वितीयतः, नवीन निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 38 से 42 दिनांक 23.10.2019 की प्रतियाँ तलब करने की याचीपक्ष की मांग भी संधारणीय नहीं है, चूंकि उक्त पट्टा विलेख हस्तगत पंचायत निगरानी याचिकाओं की विषयवस्तु नहीं है। विकास अधिकारी द्वारा पेश जांच रिपोर्ट दिनांक 29.10.2025 के साथ उक्त नवीन निष्पादित पट्टा विलेखों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की है। अतः याचीपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, ज़िला-पाली

P.T.O.

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 467/2024, 468/2024, 469/2024, 470/2024 व 471/2024
उनवान : सुशीलादेवी व अन्य बनाम ग्राम पंचायत भंदर व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

पंचायतीराज अधिनियम तथा आदेश 13 नियम 01 सि.प्र.स. सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

संक्षेप में अप्रार्थीगण संख्या तीन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सि.प्र.स. में अंकित तथ्य प्रमाणित पाए जाते है तथा ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 01 लगाय 05 दिनांक 03.11.2014 तथा ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या दो दिनांक 20.10.2014 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा निर्णय दिनांक 29.09.2017 यथासंशोधित आदेश दिनांक 08.08.2019 द्वारा पूर्व में ही निरस्त कर दिए जाने से विचाराधीन पांचो पंचायत निगरानी याचिकाएं "पूर्व निर्णय के सिद्धान्त" (Res Judicata) से बाधित होने के आधार पर खारिज की जाती है।

साथ ही, अप्रार्थी संख्या दो विकास अधिकारी प.स. बाली ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 29.10.2025 में स्वीकार किया है कि "ग्राम पंचायत भन्दर ने प्यारी देवी/थानाराम माली को पट्टा संख्या 38 दिनांक 23.10.2019, कविता देवी/आशीष कुमार को पट्टा संख्या 39 दिनांक 23.10.2019, आशीष कुमार/उम्मेद मल को पट्टा संख्या 40 दिनांक 23.10.2019, अंशी देवी/उम्मेद मल को पट्टा संख्या 41 दिनांक 23.10.2019 एवं उम्मेदमल/वरदाराम माली को पट्टा संख्या 42 दिनांक 23.10.2019 को जारी किये। इन पट्टो को जारी करने मे ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140–160 में विहित प्रक्रिया की पालना नही की गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत निर्णय नही लिया गया। पुरानी मिसलों पर ही नये पट्टे जारी किये गये । उपरोक्त पांचो पट्टे बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाऐ हुए जारी किये गये।"

अतः राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के उपबन्धान्तर्गत स्वतः संज्ञान लेते हुए विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली को निर्देश दिए जाते है कि ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा अप्रार्थीगण संख्या तीन के पक्ष में निष्पादित नवीन पट्टा विलेख संख्या 38 से 42 दिनांक 23.10.2019 के विरुद्ध आगामी एक माह में निगरानी याचिकाएँ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि विस्तृत सुनवाई एवं विवेचन उपरान्त विधिसम्मत निर्णय पारित किया जा सके। साथ ही, याचीगण भी उपरोक्त नव निष्पादित पट्टा विलेखों के विरुद्ध निगरानी याचिकाएँ प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। निर्णय पांच प्रतियों में जारी होकर प्रत्येक निगरानी याचिका में सलंग्न किया हो तथा मूल रिकॉर्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली को प्रेषित किया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
RAS
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner